15

50

समक्ष न्यायालय माननीय म.प्र.राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्रं0 /2017 I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6150

1. सर.नक्षत्र सिंह आत्मज स्व. गुरदयाल सिंह
उम्र लगभग 68 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
2. श्रीमती भजन कौर पत्नि सर.नक्षत्र सिंह
उम्र लगभग 64 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी
3. श्री मलकियत सिंह आत्मज सर. नक्षत्र सिंह
उम्र लगभग 43 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
तीनों निवासी–म0नं0 111, बिलहरी, मंडला रोड
जबलपुर-------------------------------------–पुनरीक्षणकर्तागण

462

विजय पाराशर द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुत रीडर
20 NOV 2017

बनाम

(1) श्रीमती रामकुमारी उर्फ राजकुमारी बाई पत्नि स्व. रमेश पटेल
उम्र लगभग 51 वर्ष, **निवासी**–म0नं0 2418, लोधी मोहल्ला,
जार्ज डिसल्वा वार्ड, शारदा टाकीज के सामने गोरखपुर जबलपुर

(2) श्रीमती तुलसा बाई पत्नि स्व. सोनेलाल **(मृत)**
वैधानिक प्रतिनिधि
(अ) राजेन्द्र लोधी पुत्र स्व. सोनेलाल
(ब) अजय लोधी पुत्र स्व. सोनेलाल
(स) शकुन्तला वर्मा पुत्री स्व. सोनेलाल
(द) सरोज लोधी पुत्री स्व. सोनेलाल
(घ) रूपा लोधी पुत्री स्व. श्री सोनेलाल **(मृत)**
वैध वारसान
(क) हिप्पू रैकवार आत्मज नामालूम
(ख) कु. यामनी नाबालिग बली द्वारा पिता श्री हिप्पू रैकवार
(ग) कु.श्यामनी नाबालिग बली द्वारा पिता श्री हिप्पू रैकवार
क्रं. अ से ग तक सभी निवासी–शारदा टॉकीज के सामने, लोधी मोहल्ला, गोरखपुर जबलपुर

(3) श्रीमती वेदवती बाई पत्नि स्व. छोटेलाल लोधी(पटेल)
निवासी–शारदा टॉकीज के सामने, लोधी मोहल्ला, गोरखपुर जबलपुर

(4) राजकुमार लोधी आत्मज श्री भगवानदास लोधी

उम्र लगभग 49 वर्ष,

(5) रज्जन लोधी आत्मज श्री भगवानदास
उम्र लगभग 30 वर्ष,
कं0 4 एवं 5–दोनों निवासी– इन्द्रानगर, इंद्रा मूर्ति के पास, सांई अस्पताल के पास, पुलिस स्टेशन–रांझी, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.)----------**प्रत्यार्थीगण**

पुनरीक्षण याचिका, अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण, अधीनस्थ विद्वान अपीलीय न्यायालय, श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा राजस्व अपील कं. 0369/अपील/2016–17 पक्षकार "श्रीमती राजकुमारी बनाम श्रीमती तुलसाबाई व अन्य" में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/08/2017 (जिसके द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखे जाने का आदेश पारित किया है), से व्यथित व असहमत होकर, निम्न संक्षिप्त तथ्यों व विधिक–आधारों के तहत, माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थिनी राजकुमारी व अन्य द्वारा तहसीलदार केंट के समक्ष एक आवेदन पेशें निवेदन किया कि, ग्राम कजरवारा प.ह.नं. 23/27 स्थित खसरा नंबर 76/1 रकबा 1.307 हैक्टे. भूमि पर उसका एवं उसके वारसाानों का नाम दर्ज किया जाये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया। तथा इसी भूमि के संबंध में तुलसाबाई पति स्व. सोनेलाल, श्रीमती वेदवंती बाई एवं अन्य के द्वारा भी नाम दर्ज कराने का आवेदन पेश किया गया। उक्त प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24/1/2011 को आदेश पारित कर स्पष्ट किया कि उक्त भूमि पर बंशीलाल का कोई स्वत्व नही होने से उसका नाम विलोपित किया जाता है, शेष सहखातेदार यथावत रहेंगे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/1/2011 से असहमत होकर तुलसाबाई वगैरह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

2. यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 15/11/2011 को आदेश पारित कर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रा. प्र. कं. 52/अ–6/2009–10 में दिनांक 24/1/2011 को पारित आदेश को अपास्त कर, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि बंसीलाल मृत सहखातेदार के हक व हिस्से की भूमि का बराबर–बराबर अनुपात में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1959 के तहत बनाये नियमों व प्रावधानों का अनुसरण कर उनके वैध वारसानों का निर्धारण कर तथा म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 में निहित प्रावधानों के तहत प्रकरण

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6150 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 369/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.09.2012 को आदेश पारित किया गया है। उनका यह निष्कर्ष भी उचित है कि यदि आवेदक 15.11.2011 से परिवेदित थी तो उसे उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए थी जो न किए जाने से 15.11.2011 का आदेश अंतिम है। उक्त कारणों से उनके द्वारा इस प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	